न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या –11/2024 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2024/35

1. मोहनपाल बेदी पत्नी जगदीश सिंह बेदी
2. तरूमीन सिंह पुत्र जगदीश सिंह बेदी
   निवांसी नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सडक परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय, परियोजना कार्यालय ईकाई, 1–सी–10 एसएफएस कॉलोनी, तलवंडी कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तरकरण सं0 372 दिनांक 14.06.2007 तहसीलदार लाडपुरा

उस्थिति

1. श्री मुकेश खारोल, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री विजय कुमार मित्तल, सुश्री महेन्द्रा कुमारी वर्मा, अभिभाषक रेस्पो0 नं0 1
3. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक– 17.02.2025

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नयानोहरा में खातेदार मोहनपाल बेदी पत्नी जगदीश सिंह, तरमीत सिंह पुत्र जगदीश सिंह बेदी के नाम खसरा नम्बर 193 मी0 की रकबा 0.16 हे0 के नाम दर्ज भूमि का तहसीलदार लाडपुरा ने तहसील के आदेश कमांक/राजस्व/1718 दिनांक 7.10.2006 की पालना में पटवारी रिपोर्ट एवं जांच आई एल आर अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नाम नामान्तरकरण संख्या 372 दिनांक 14.6.2007 को स्वीकृत किया गया है ।

2. अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश दिनांक 14.06.2007 की अप्रसन्नता में अपीलांट द्वारा यह अपील लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय में दिनांक 28.12.2023 को जरिये अभिभाषक श्री मुकेश खारोल के पेश की गई है कि ग्राम नया नोहरा तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 193 की 0.41 हे0 भूमि स्थित चली आ रही थी, जिसमें से 0.16 हे0 भूमि अपीलान्ट ने खरीद की थी तथा खसरा नम्बर 193 मिन की 0.16 हे0 भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त खसरा नम्बर 193 मिन की 0.16 हे0 भूमि नामान्तरकरण संख्या 372 के जरिये रस्पोडेन्ट नं0 1 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में अवाप्त कर ली गयी । उक्त भूमि पर अपीलान्टान काबिज काश्त चले आ रहे है और आज भी उसमें अपीलान्ट की फसल खडी हुई है । अपीलान्ट ने उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा प्राप्त नहीं किया है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट नं0 1 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री विकास सोनी, सुश्री महेन्द्रा कुमारी वर्मा का वकालतनामा पेश हुआ, रेस्पोडेन्ट नं0 2 सरकार की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । वकील रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र का एवं

जिला कलक्टर
कोटा

अपील में जवाब प्रस्तुत किया । वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की गई । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम नया नोहरा तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 193 की 0.41 हे0 भूमि स्थित चली आ रही थी, जिसमें से 0.16 हे0 भूमि अपीलान्ट ने खरीद की थी तथा खसरा नम्बर 193 मिन की 0.16 हे0 भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त खसरा नम्बर 193 मिन की 0.16 हे0 भूमि नामान्तरकरण संख्या 372 के जरिये रस्पोडेन्ट नं0 1 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में अवाप्त कर ली गयी । उक्त भूमि पर अपीलान्टान काबिज काश्त चले आ रहे है और आज भी उसमें अपीलान्ट की फसल खडी हुई है । तहसीलदार लाडपुरा ने उक्त नामान्तरकरण खोले जाने से पूर्व अपीलांटगण को सुना नहीं गया है ओर अपीलान्टान के नाम से मुआवजा राशि के चेक जारी कर दिये किन्तु अपीलान्टान ने चैक प्राप्त नहीं किये । अवाप्त की गयी भूमि आज भी अपीलान्टान के कब्जे काश्त में चली आ रही है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि अपीलान्टान की आजीविका का एक मात्र साधन है को इंतकाल नं0 372 के जरिये रेस्पो0 नं0 1 के नाम दर्ज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि मौके पर अपीलान्टान का कब्जा भूमि पर चला आ रहा है व काश्त हो रही है रेस्पो0 नं0 1 को अपीलान्टान ने वास्तविक कब्जा सुपुर्द नहीं किया है और अपीलान्टान ने मुआवजे की राशि भी प्राप्त नहीं की है तथा जारी चैक वापस लौटा दिये गये है, ऐसी स्थिति में अपीलान्टान की भूमि अवाप्ति से मुक्त की जाकर पुनः अपीलान्टान के खाते दर्ज किया जाना आवश्यक हो गया है । इसके बावजूद भी रेस्पे0 नं0 2 द्वारा अपीलान्टान के खाते की भूमि का नामान्तरकरण नं0 372 रेस्पो0 नं0 1 के नाम तस्दीक करने में त्रुटि की है । नामान्तरकरण नं0 372 दिनांक 14.6.2007 अपीलान्टान की अनुपस्थिति में तस्दीक किया गया जिसकी अपीलान्टान को कोई जानकारी नहीं थी, बाद में चैक रिलीज करने व चैक वापस लौटाने के पश्चात व भूमि पर अपीलान्टान का कब्जा होते हुए भी रेस्पो0 नं0 1 द्वारा अपीलान्टान को उक्त भूमि से दिनांक 11.8.2023 को बेदखल करने की धमकी देने पर अपीलान्टान ने नामान्तरकरण की नकल दिनांक 14.8.2023 को प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है । वकील अपीलान्ट ने आगे अपनी लिखित बहस में विशेष कथन किया है कि भारत का राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 3.11.2004 में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की सूचना का प्रकाशन किया था जिसमें ग्राम हाथीखेडा के खसरा नम्बर 193/1 की 0.16 हे0 भूमि अवाप्त की गयी थी, जबकि उक्त नामान्तरकरण संख्या 372 दिनांक 14.6.2007 से खसरा नम्बर 193 की 0.16 हे0 भूमि अवाप्त करली गयी जो कि नियम विरूद्व है । राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक/प01(3) राज–6/2011/7 को एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 के संबंध में समस्त जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किये गये है जिसमें भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के बारे में उपजे वाद विवाद के मामलों में पारदर्शिता लाने हेतु निर्देश दिये गये है । धारा 11 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी भूमि अर्जन अधिनियम 1984 के अधीन आरम्भ की गयी भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के किसी मामले में जहां उक्त धारा 1 के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के पांच वर्ष के बराबर या अधिक पूर्व अधिनिर्णय किया गया है किन्तु भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है । प्रतिकर का संदाय नहीं हुआ है तो ऐसा समझा जावेगा कि उक्त कार्यवाहियां स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी । उक्त भूमि पर वर्तमान में किसी भी तरह का राष्ट्रीय राजमार्ग या सडक का निमार्ण नहीं हुआ है और ना राष्ट्रीय राजमार्ग के काम में ली जाने वाली है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को कृषि हेतु ही अवाप्त से मुक्त किया जाना उचित होगा । क्योंकि खसरा नम्बर 193 की अवाप्त की गयी भूमि वर्तमान में अपीलान्ट के कब्जे काश्त में है । अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार लाडपुरा का इंतकाल नं0 372 दिनांक 14.6.2007 निरस्त किया जावें तथा उक्त खसरा नम्बर 193 मिन की 0.16 हे0 भूमि पुनः अपीलान्टान के खाते दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

5. वकील रेस्पोडेन्ट का जवाब एवं अपनी बहस में कथन है कि राजस्थान राज्य के कोटा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के 378.000 कि0मी0 से 418.00 तक के भूखण्ड का कोटा बाईपास के निमार्ण सहित चार लेन का बनाने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित होने से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3A की अधिसूचना दिनांक 18.3.2005 को जारी की गई जिसका प्रकाश दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 10.5.2005 को प्रकाशन किया गया है, धारा 3A के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्व उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति को 21 दिन के अन्दर आपत्तियां प्राप्त की गई तत्पश्चात धारा 3C के अन्तर्गत आपत्तियों का निस्तारण किया गया । धारा 3–सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर निर्णय पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार, सडक पविहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा धारा 3–डी के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 22.11.2005 को जारी की गयी जिसमें अपीलांट की ग्राम नयानोहरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 193/1 रकबा 0.16 हे0 भूमि अन्तिम रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो चुकी है । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3डी(4) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि 3डी(1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना को किसी भी न्यायालय अथवा ऑथोरिटी के समक्ष चुनौति नहीं दी जा सकेगी । अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में किये गये कथनों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान को देखने मात्र से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील उक्त अधिनियम की धारा 3डी (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत बाधित है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील रेस्पो0 नं0 1 को महज परेशान करने की बदनियति से प्रस्तुत की गयी है । इस कारण रेस्पोडेन्ट नं0 1 अपीलान्ट से विशेष हर्जा खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी है । रेस्पोडेन्ट द्वारा आगे अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–डी के अन्तर्गत अधिसूचना कमांक 1664(अ) दिनांक 22.11.2005 के द्वारा भूमि अवाप्त की गयी जिसका नामान्तरकरण दिनांक 14.6.2007 को तस्दीक किया गया । अपीलान्ट ने यह भी स्वीकार किया है कि अपीलान्ट द्वारा मुआवजा राशि के चैक वापस लौटा दिये गये । इसके उपरान्त अपीलान्ट द्वारा लगभग 17 वर्ष पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर होने से निरस्त फरमाई जावें । चूंकि अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण को चैलेंज किया है जो कि 3डी के बाद जारी अवार्ड आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया है । अवार्ड आदेश को चैलेंज नहीं किया है ऐसी स्थिति में अपीलांट को यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है, अवार्ड आदेश को चैलेंज किये बिना अपीलांट इस अपील में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से अपील खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा ग्राम नयानोहरा में खातेदार मोहनपाल बेदी पत्नी जगदीश सिंह, तरमीत सिंह पुत्र जगदीश सिंह बेदी के नाम खसरा नम्बर 193 मी0 की रकबा 0.16 हे0 के नाम दर्ज भूमि का तहसीलदार लाडपुरा ने तहसील के आदेश कमांक/राजस्व/1718 दिनांक 7.10.2006 की पालना में पटवारी रिपोर्ट एवं जांच आई एल आर अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 372 दिनांक 14.6.2007 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 28.12.2023 को लिमिटेशन की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है, विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का मुख्य कारण यह बताया गया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तस्दीक किया गया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी तथा प्रथम जानकारी दिनांक 11.8.2023 को बेदखल करने की धमकी देने पर होना बताया जाकर दिनांक 14.6.2007 से अपील प्रस्तुत करने की तारीख तक की अवधि को कन्डोन करने का निवेदन किया है । रेस्पोडेन्ट द्वारा लिमिटेशन की धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण धारा 3डी अधिसूचना दिनांक 22.11.2005 के द्वारा भूमि अवाप्त की गई जिसकी पालना में नामान्तरकरण दिनांक 14.6.2007 को स्वीकृत किया गया है । उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व यह अपील 17 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर होने से निरस्त फरमाई जावें । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के लिए बताये गये कारण उचित एवं ठोस आधार नहीं है, क्योंकि नामान्तरकरण से पूर्व अपीलान्ट को भूमि अवाप्ति की सम्पूर्ण

जिला कलक्टर
कोटा

कार्यवाही की जानकारी थी, तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा आपत्तियां भी प्राप्त की जाकर सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया था, तथा अपीलान्ट स्वयं द्वारा यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा अवार्ड राशि का चैक वापस लौटा दिये गये थे, इससे यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अवाप्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी थी । ऐसी स्थिति में 17 वर्ष की अवधि को कन्डोन किया जाना उचित नहीं होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है । किन्तु इस अपील में हम गुणावगुण पर भी विवेचन करना उचित समझते है ।

7. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में यह तर्क है कि उक्त अवाप्त भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत करने की उनको कोई जानकारी नहीं थी, तथा उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तथा उक्त भूमि वर्तमान में भी उनके कब्जे काश्त में होकर एनएचएआई के उपयोग की नहीं होना बताया है । किन्तु अपीलान्ट द्वारा यह अपील नामान्तरकरण के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जो कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही एवं अवार्ड आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया है । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है, चूंकि नामान्तरकरण एक समरी प्रोसिडिंग है, इसके जरिये हकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त कराकर पुनः वर्णित भूमि खसरा नम्बर 193 मि0 रकबा 0.16 हे0 भूमि उनके नाम दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है जो इस अपील के जरिये संभव नहीं है । प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य पाते है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट विधिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 372 दिनांक 14.06.2007 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

9. निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा

10.